

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पन्न अवधार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बाग से ही किया जावे न
कि विद्यार्थी अब्द एवं विषयों के बाग से।
उम्मीदवाहक विषय पर यह एर्ट में पन्न
अवधार हुआ हो तो पन्न क्रमांक एवं दिनांक
अवधय लिखा जावे जिससे सुनिधा हो।



ग्राम : गूलीवर्टिपी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एक/सम्बद्धता/2009/ 5192

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एम.पी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चार शहर का बाका, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एड., एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442868)

(2) प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक रस्तें, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अबुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रगाम पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रस्तें की वियुक्तियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से बिरेदन है कि वे उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तराधित्र विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। विरीक्षण की सूचना आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल के भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करेंगे होंगे, तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्वाग्रह किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

“विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यर्थ अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रालीला लेकर जायेंगे स्थायी महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ट. / मानदेव नेत्राविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक नियांत्रित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. अन्युक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)